अपील सूचना अधिकार संख्या 119/2020 (RCMS 2020/00205) श्री हरपाल सिंह सुधन, एडवोकेट पुत्र महताब सिंह, ब्राह्मण सिख, चैम्बर नम्बर 5ए, कचहरी परिसर, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर–335051 (मोबाईल नम्बर 096678–61073) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजीयक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 521 दिनांक 12.10.2020 से जवाब प्राप्त हुआ **जो शामिल मिसल किया गया। अपीलार्थी** श्री हरपाल सिंह सुधन स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर सूचना जारी करने की तिथि तक 250/– प्रतिदिन शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2020 के द्वारा उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> **जिला पंजीयन अभिलेखागार मे जमा श्रीमान् उपपंजीयक, अनूपगढ के समक्ष दिनांक 21.09.1974 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 45, पृष्ठ संख्या 155 से 156, क्रम सख्या 614 पर ग्राम 3 एलसी(ए) के मुरब्बा नम्बर–5 का पंजीकृत बैयनामा ग्यान कौर पत्नी दलीप सिंह सा. 3 एलसी(ए) बहक लाली देवी पत्नी सोहन लाल जाट सा. 3 एलसी(ए) (रकबा 2.10 बीघा) की यथासंभव शीघ्र प्रमाणित प्रतिलिपि डाक द्वारा भिजवाये जाने की कृपा करें।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 410 दिनांक 26.08.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनूपगढ उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध पंजीयन दस्तावेज वर्ष 2013 तक जिला पंजीयन अभिलेखागार, उप पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में जमा है। किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थी नियमानुसार नकल/सत्यप्रति फीस 100/– रू एवं 100/– का स्टाम्प जमा करवा आवेदन कर जिला पंजयीन अभिलेखागार, उप पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में नकल प्राप्त कर सकता है।
>
> -sd-
> उप पंजीयक
> श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत **उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के आदेश के अनुसार तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है।** इसलिए अपीलार्थी यदि उक्त सूचनाओं से असंतुष्ट है तो वह नियमानुसार उक्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील यहां से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर